बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-07/2017 1077 /पटना, दिनांक 01/11/2017

प्रेषक,

राज किशोर प्रसाद,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी/
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाची पदाधिकारी (स० स०)।

विषय : **बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के अंतर्गत निबंधित समिति के प्रबंधकारिणी की डिफॉल्टर (defaulter) होने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का पत्रांक-9039 दिनांक 27.10.2016 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोक्त।

01/11/17
(राज किशोर प्रसाद)
उप सचिव

BSEA dt. 30-10-2017 Hall_Rajesh

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 9039 /पटना, दिनांक 27.10.16
7/नि॰ (विधि–9) न्या॰मा॰–664/2016

प्रेषक,

नरेन्द्र प्रसाद मंडल (भा॰प्र॰से॰),
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, पटना।
सभी प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰।

विषय :– बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत निबंधित समिति की प्रबंधकारिणी के डिफॉल्टर (Defaulter) होने के संबंध में।

प्रसंग :– माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका संख्या–16517/2014 एवं अन्य पारित आदेश दिनांक 25.09.2014.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या–16517/2014 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.09.2014 के आलोक में कहना है कि सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰/स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि॰ के द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल एवं अन्य सहकारी समितियाँ को विभिन्न प्रयोजन हेतु कैश क्रेडिट लोन दिया जाता है तथा प्रासंगिक समिति की प्रबंधकारिणी के चुनाव के क्रम में वैसी समिति के प्रबंधकारिणी में रहे पदधारक के द्वारा नामांकन को संबंधित बैंक के अनुरोध पर अथवा नो–डयूज सर्टिफिकेट के अभाव में डिफॉल्टर मानते हुए नामांकन को अस्वीकृत (reject) कर दिया जाता है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पारित आदेश के द्वारा नियमन दिया गया है कि "बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 की धारा–41 के अन्तर्गत कैश क्रेडिट ऋण प्राप्त करने वाली समिति की प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष/निदेशक के विरूद्ध डिफॉल्टर होने संबंधी/Disqualification संबंधी जब तक सक्षम प्राधिकार के द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाए तब तक बैंक के अनुरोध पर अथवा नो–डयूज सर्टिफिकेट के अभाव में उनके नामांकन को निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है"।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 26/10/16

(नरेन्द्र प्रसाद मंडल)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

Node:7\D:\Guddu Mishra\RCS-171016.doc

ज्ञापांक 9039/पटना, दिनांक 27.10.16

प्रतिलिपि :— मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या—16517/2014 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.09.2014 की वेबप्रति की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/16

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 9039/पटना, दिनांक 27.10.16

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/10/16

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 9039/पटना, दिनांक 27.10.16

प्रतिलिपि :— मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/16

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

Node:7\D:\Guddu Mishra\RCS-171016.doc